

पर्युषण पर्वों में पूरे हरियाणा में पशु वध शालाएं (कत्लखाने)  
बन्द करने वाले सरकार के आदेश की कॉपी

प्रेषक

निदेशक

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

1. आयुक्त, सभी नगर निगम
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य
3. कार्यकारी अधिकारी/सचिव  
सभी नगर/नरिषदे/नगर पालिकाएं, हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक टी. ए. - 1/डी.यू.एल.बी./2014/32147-246

दिनांक 7-7-14

विषय :- जैन पर्युषण पर्व 23.08.2014 से 31.08.2014 (9 दिन) तक कत्लखाने बन्द करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र यादी क्रमांक 14/69/2010-4C-I दिनांक 10.09.2010. जो आपको सम्बोधित है, के सन्दर्भ में।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इस वर्ष 2014 के दौरान दिनांक 23.08.2014 से 31.08.2014 (9 दिनों) तक जैन समाज उत्सव आयोजित होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार की हिदायतों के दृष्टिकोण में उक्त उत्सव के दौरान स्लाटर हाऊस बन्द रखने तथा इस अवधि में किसी भी प्रकार के पशुओं को काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखने के लिए सम्बन्धितों को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें।

*[Handwritten Signature]*  
21/7/14

कार्यकारी अभिन्यता - II

कृते : निदेशक शहरी स्थानीय निकाय  
हरियाणा, पंचकूला।

क्रमांक टी. ए. - 1/डी.यू.एल.बी./2014/32247

दिनांक 7-7-14

इसकी एक प्रति श्री राधेश्याम जैन, मकान नं. 3698, सैक्टर 46 - सी चण्डीगढ़ को उनके पत्र दिनांक 11.06.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

*[Handwritten Signature]*  
21/7/14

कार्यकारी अभिन्यता - II

कृते : निदेशक शहरी स्थानीय निकाय  
हरियाणा, पंचकूला।

अहिंसाजलि

11

अगस्त - 2014

*[Handwritten Signature]*  
@Yahoo.com